



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-13.09.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में पंजीकृत पशुकूरता के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तों को 01 माह कारावास व 50-50 रुपये अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-228/18 धारा 307 भा0द0वि0 व 11 पशुकूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- शानू पुत्र मो. शाहिद निवासी भरवारी महरुफपुर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी 2- नखडू नट पुत्र पगल निवासी कोरौता नटान बस्ती थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 12.09.2024 को माननीय न्यायालय ADJ-7 वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 11 पशुकूरता अधिनियम दोषसिद्ध पाते हुए 01-01 माह के कारावास व 50-50 रू0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अन्तर्गत धारा 307 भादवि में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।